



ओल्गा टेलसि वाद 1985

प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगिम (1985), फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन का अधिकार, अतिक्रमण रोधी पूरव स्वीकृती

मेन्स के लयः

जीवन का अधिकार, नरिणय और मामले, न्यायपालकिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगिम 1985 के मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की संवधान पीठ के फैसले में कहा गया कि जहाँगीरपुरी (दिल्ली) मामले में फुटपाथ के नवासी, आतकिरमणकारियों से भन्नि हैं, जो आगामी नरिणयों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिसकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्नः

- **पृष्ठभूमि:** यह मामला 1981 में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर नगिम ने फैसला कयिा कि बॉम्बे शहर में फुटपाथ एवं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बेदखल कयिा जाना चाहयि तथा उन्हें "उनके मूल स्थान या बॉम्बे शहर के बाहर के क्षेत्रों पर नरिवासति कयिा जाना चाहयि।"
- **फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन के अधिकार का प्रश्नः** एक मुख्य प्रश्न यह था ककिया फुटपाथ पर रहने वाले को बेदखल करना [संवधान के अनुच्छेद 21](#) के तहत उनके गारंटीशुदा आजीविका के अधिकार से वंचति करना होगा।
 - अनुच्छेद 21 के अनुसार, "कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयिा के अलावा कसिी भी व्यक्तिको उसके जीवन या व्यक्तगित स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयिा जाएगा।"
 - भारत में लगभग दो करोड़ लोग फुटपाथ पर रहने वालों में शामिल हैं।
- **अतिक्रमण हटाने के लयि पूरव स्वीकृती का प्रश्नः** संवधान पीठ को यह नरिधारति करने के लयि भी कहा गया था ककिया बॉम्बे नगर नगिम अधनियिम, 1888 में शामिल प्रावधान, मनमाने और अनुचति तथा बना कसिी पूरव सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- **अतिक्रमण पर प्रश्नः** सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल की जाँच करने का भी नरिणय लयिा ककिया फुटपाथ पर रहने वालों को अतचिरयिों (Trespassers) के रूप में चहिनति करना संवधानकिक रूप से अनुचति होगा।

ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगिम, 1985 मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणयः

- ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगिम नरिणय 1985, (*Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation judgment in 1985*) में न्यायालय ने नरिणय दयिा कि फुटपाथ पर रहने वालों को बना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दयिा बना बेदखल करना असंवधानकिक है।
 - यह उनके आजीविका के अधिकार (Right to Livelihood) का उल्लंघन है।
- न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों को केवल आतकिरमणकारी मानने वाले प्राधकिारयिों पर कड़ी आपत्तजिताई थी।
 - "वे (फुटपाथ पर रहने वाले) नहियत खराब आर्थकिक स्थति के कारण ज़्यादातर गंदी या दलदली जगहों पर रहने की जगह ढूँढ लेते हैं।

राज्य सरकार का बचावः

- **वर्बिधन (Estoppel) का प्रश्नः** राज्य सरकार और नगिम ने वरिोध कयिा कि फुटपाथ पर रहने वालों को रोका जाना चाहयि।
 - **वर्बिधन (Estoppel) एक न्यायकिक उपकरण है जसिके द्वारा एक अदालत कसिी व्यक्तिको दावा करने से 'रोक' सकती है।**
 - वर्बिधन कसिी को यह दावा करने से रोक सकता है कि फुटपाथ पर उसके द्वारा बनाई गई झोपड़ी को उसके आजीविका के अधिकार के कारण धवस्त नहीं कयिा जा सकता है।
- **सार्वजनकिक रास्ते का अधिकारः** वे फुटपाथ या सार्वजनकिक सड़कों पर अतिक्रमण करने और झोपड़यिों को बनाने के कसिी भी [मौलकिक अधिकार](#) का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों को उन रास्तों पर आवाजाही का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया नरिणयः

- **वर्बिधन परः** अदालत ने वर्बिधन के सरकार के तरूक को यह कहते हुए खारजि कर दिया कि "संवधिान के खलिाफ कोई वर्बिधन नहीं हो सकता ।" .
 - कोरूट ने कहा कि फूटपाथ पर रहने वालों के जीवन का अधकिार दौंव पर लगा है ।
- **आजीवकिा के अधकिार परः** आजीवकिा का अधकिार जीवन के अधकिार का एक "अभनिन घटक" है ।
 - यदि आजीवकिा के अधकिार को जीने के संवैधानकि अधकिार के हसिसे के रूप में नहीं माना जाता है, तो कसिी वयकूतकिा को उसके जीवन के अधकिार से वंचति करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि उसे उसकी आजीवकिा के साधन से वंचति कर दिया जाए ।
- **पूरव सूचना परः दूसरे प्रश्न कि कय्या वैधानकि प्राधकिारयिों को बनिा पूरव सूचना के अतकिरमण हटाने की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधान मनमाना थे ।**
 - ऐसे अधकिारों को 'अपवाद' के रूप में संचालति करने के लयि ज़िाइन कयिा गया है, न कि "सामान्य नयिम" की भाँति ।
 - बेदखली की प्रकूरयिा प्रकूरयिात्मक सुरकूषा उपायों के पकूष में होनी चाहयि जो न्याय के प्राकूृतकि सदिधांतों का पालन करती हो जैसे- दूसरे पकूष को सुनवाई का अवसर देना ।
 - सुनवाई का अधकिार पीड़ति वयकूतयिों को नरिणय लेने की प्रकूरयिा में भाग लेने और गरमिा के साथ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता है ।
- **अतचिारः** अदालत ने फूटपाथ पर रहने वाले लोगों को अतचिारी मानने वाले अधकिारयिों पर कड़ी आपतूतजिताई है ।
 - शीरूष अदालत ने फैसला सुनाया कि फूटपाथ पर रहने वाले लोग "बेहद बेबसी से गंदे फूटपाथों" पर रहते हैं, न कि कसिी को अपमानति करने, डराने या परेशान करने के उददेश्य से ।
 - वे फूटपाथ पर रहते हैं और कमाते हैं कयोंकि उनके पास "शहर में देखभाल के छोटे-छोटे काम हैं और रहने के लयि कोई घर नहीं है ।"

वगित वर्षों के प्रश्नः

प्रश्नः भारत के संवधिान का कौन सा अनुचूछेद अपनी पसंद के वयकूतसे शादी करने की सुरकूषा का अधकिार प्रदान करता है? (2019)

- (a) अनुचूछेद 19
- (b) अनुचूछेद 21
- (c) अनुचूछेद 25
- (d) अनुचूछेद 29

उत्तरः (b)

व्याख्याः

- वविाह का अधकिार भारत के संवधिान के अनुचूछेद 21 के तहत जीवन के अधकिार का एक घटक है जसिमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापति प्रकूरयिा के अनुसार कसिी भी वयकूतकिा को उसके जीवन और वयकूतगित स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयिा जाएगा" ।

सूरोत- द हदिू